आयकर अपीलीय अधिकरण, कोलकाता न्यायपीठ , कोलकाता

डॉ. मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा श्री संजय शर्मा, न्यायिक सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आयकर अपील संख्या 117/PAT/2023

निर्धारण वर्ष: 2016-17

आयुर्वेदिक एवं मैग्नो थेरपी रिसर्च इंस्टिट्यूट (एएमआरआई), पटना	बनाम	आयकर अधिकारी(एक्ज़ेम्पशन), वार्ड- 1, पटना
(अपीलार्थी)		(प्रत्यर्थी)

स्थायी लेखा संख्या – AAATA5837F

अपीलार्थी की ओर से- श्री अभि सरकार, एडवोकेट

प्रत्यर्थी की ओर से- श्री सुशील कुमार मिश्रा, जेसीआईटी, डीआर

सुनवाई तिथि- 07.03.2024

उद्घोषणा की तिथि- 14.03.2024

आदेश

डॉ. मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा :

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारिती द्वारा दायर यह अपील एनएफएसी के आदेश दिनांक 30-03-2023 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर दाखिल की गई है।

2.इस अपील की सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा निर्धारिती को सुनवाई का कोई उचित, तर्कसंगत तथा सार्थक अवसर नहीं दिया गया था। विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरण के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आक्षेपित एकपक्षीय आदेश पारित किया था। साथ ही विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निर्धारण अधिकारी के समक्ष भी अपीलार्थी प्रस्तुत नहीं हो पाया। अतः यह अनुरोध किया कि प्रकरणों के गुणगान एवं परीक्षण के लिए विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित किया जाए। दूसरी ओर, विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के निवेदन का खंडन नहीं किया।

3.हमने दोनों पक्षों को सुना तथा निम्न प्राधिकारियों के आदेशों का अवलोकन किया। हमने पाया कि वर्तमान अपीलों में, निर्धारिती को उचित एवं प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) ने प्रकरणों के गुणागुण का उचित रूप से परीक्षण किए बिना आदेश पारित किया था, जो कि न्यायसंगत नहीं है। हमने यह भी पाया कि विद्वान निर्धारण अधिकारी का फैसला भी एकतरफा है और अपीलार्थी अपनी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाया। अतः न्याय के हित में, हम विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश को अपास्त करना उपयुक्त समझते है। यह अपील निर्धारिती को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात विधि के अनुसार गुणागुण पर निर्णयित करने के निदेश के साथ विद्वान निर्धारण अधिकारी की फाईल में प्रतिप्रेषित की जाती है तथा निर्धारिती को भी इस संबंध में विद्वान निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने/सहयोग करने का निदेश दिया जाता है।

4. परिणामतः निर्धारिती की अपील सांख्यिकीय उद्देश्यों से स्वीकृत की जाती है।

यह आदेश दिनांक 14.03.2024 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
[संजय शर्मा]	[मनीष बोरड]
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक – 14.03.2024

सुमना तालुकदार
वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक

आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषित/Copy of the Order forwarded to :

1. **अपीलार्थी / The Assessee**
2. **प्रत्यर्थी / The Respondent**
3. **संबंधित आयकर आयुक्त / Concerned Pr. CIT**
4. **आयकर आयुक्त (अपील)/ The CIT(A)-**
5. **विभागीय प्रतिनिधि , आयकर अपीलीय अधिकरण ,** कोलकाता**/DR,ITAT, Kolkata,**
6. **गार्ड फाई/ Guard file.**

आदेशानुसार/ BY ORDER,
TRUE COPY

Assistant Registrar
आयकर अपीलीय अधिकरण
ITAT, Kolkata